प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक उद्यम, जिनके लेखे भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की लेखापरीक्षा के अधीन हैं, निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- सरकारी कम्पनियां,
- सांविधिक निगम, तथा
- विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है और यह भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क, जैसा कि समय-समय पर संशोधित की गई है, के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा के परिणाम पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

4. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में संव्यवहारित नहीं किए जा सके थे; वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहां आवश्यक समझे गए, भी सम्मिलित कर लिए गए हैं।

5. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई हैं।